एच0सी0 अवस्थी
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 - 11 /2021
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांकः मार्च/2,2021

विषयः- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्रिमिनल संख्याः68/2008 ललिता कुमारी बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित निर्णय दिनांकित 12.11.2013 का अक्षरशः अनुपालन करते हुए संज्ञेय अपराध के घटित होने की प्रत्येक सूचना पर अनिवार्य रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने के संबंध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि समय-समय पर मुख्यालय स्तर से संज्ञेय अपराध के घटित होने की प्रत्येक सूचना पर अनिवार्य रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने संबंधी दिशा-निर्देश पार्श्वांकित परिपत्रों के माध्यम से निर्गत किये गये है। जनपद/थाना स्तर पर इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन न किये जाने के कारण ऐसे अपराध के पीड़ितों द्वारा प्रथम सूचना दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में रिट याचिकायें / अवमानना याचिकायें मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष योजित की जा रही हैं, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत न किये जाने को रिट याचिका क्रिमिनल संख्याः68/2008 ललिता कुमारी बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित निर्णय दिनांकित 12.11.2013 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों का उल्लंघन बताते हुए अवमानना की कार्यवाही प्रारम्भ करने की याचना की जा रही है।

डीजी-परिपत्र सं0 - 21/2013 दि0 03.05.2013
अर्द्ध0शा0परिपत्र सं0-डीजी61/2013 दि0 29.10.2013
पत्रसं0-डीजी-दस-वि0प्र0-रिट-517/2013 दि0 30.12.2013
डीजी-परिपत्र सं0 - 23/2014 दि0 05.04.2014
डीजी-परिपत्र सं0 - 82/2015 दि0 26.12.2015
डीजी-परिपत्र सं0 - 58/2016 दि0 16.10.2016
पत्र सं0-डीजी-सात-एस-14(28)/2015 दि0-25.06.2017

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-68/2008 ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु इस मुख्यालय द्वारा पत्र संख्या-डीजी-दस-वि0प्र0-रिट-517/2013, दिनांकित 30.12.2013 पूर्व में निर्गत किया जा चुका है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या-700पी/छः-पु-3-2017-06पी/12 टीसी दिनांकित 19.06.2017 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा स्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये थे, जिसके अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने की कार्यवाही को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण काउन्टर** खोले जाने तथा एफ0आई0आर0 पंजीकरण की कार्यवाही का जनपदीय/परिक्षेत्रीय/जोनल स्तर पर प्रतिदिन अनुश्रवण करने के भी निर्देश दिये गये थे।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय / मा0 उच्च न्यायालय / उ0प्र0 शासन / मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 स्तर से निर्गत निर्देशों के अनुपालन में बरती जा रही शिथिलता के दृष्टिगत इन निर्देशों के अनुपालनार्थ पुनः निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं-

Scanned by CamScanner

थाना स्तर पर:-

- थाना स्तर पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ललिता कुमारी बनाम उ0प्र0 राज्य में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के संबंध में पूर्ण उत्तरदायित्व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष एवं जनपदीय पुलिस प्रभारी का होगा।
- इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो, समस्त थानों पर डे/नाइट ऑफिसर की नियुक्ति की जाय, जोकि थानाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संज्ञेय अपराध होने की सूचना पर अनिवार्य रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का कार्य सुनिश्चित करेंगे।
- प्रत्येक थाने के प्रवेश द्वरा पर एवं थाना कार्यालय में (जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने की कार्यवाही होती है) सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जायें। सी0सी0टी0वी0 कैमरे के कार्यरत न होने की सूचना तत्काल जनपदीय पुलिस अधीक्षक को दी जायेगी। जनपदीय पुलिस अधीक्षक 24 घंटे में सी0सी0टी0वी0 कैमरे को ठीक कराना सुनिश्चित करेंगे।
- सी0सी0टी0वी0 कैमरे की फुटेज मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SPECIAL LEAVE PETITION (CRIMINAL) NO.3543 of 2020 परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.12.2020 के अनुसार सुरक्षित रखा जायेगा।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्तर पर:-

- जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण काउन्टर स्थापित किया जाये और उसे पूर्ण रूप से क्रियाशील रखा जाये। काउन्टर पर एक बड़े आकार का पठनीय बोर्ड जिस पर **"एफ0आई0आर0 काउन्टर "** लिखा हो लगवाया जाये तथा काउन्टर पर मुख्य आरक्षी / आरक्षी की ड्यूटी लगायी जाये।
- पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होने वाली प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न किये जाने की शिकायतों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण कराने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध नोडल अधिकारी होंगे। जिन जनपदों में अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक, अपराध के पद नहीं है, उन जनपदों में जनपदीय पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश देने हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे।
- ये नोडल अधिकारी ऐसे समस्त प्रार्थना पत्र, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की प्रार्थना की गयी है, का परीक्षण मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **" ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य "** में दिये गये निर्देशों के अनुसार करेंगे एवं परीक्षण के उपरान्त **प्रार्थना पत्र पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने का स्पष्ट निर्देश देंगे।**
- नोडल अधिकारी ऐसे समस्त प्रकरणों का, जिनमें उनके स्तर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश पारित किये गये है, विवरण एक रजिस्टर में रखेंगे एवं इसकी रिपोर्ट प्रतिदिन जनपदीय पुलिस अधीक्षक को देंगे एवं अनुश्रवण करेंगे कि उनके आदेशों का अनुपालन

Scanned by CamScanner

हुआ अथवा नहीं । जिन मामलों में अनुपालन नहीं हुआ है, उसकी रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करेंगे।

सामान्य:-

- ऐसे समस्त प्रकरणों में, जिनमें यह संज्ञान में आता है कि पीड़ित/पीड़िता की प्रथम सूचना रिपोर्ट जानबूझकर थाने स्तर पर नहीं दर्ज की गयी है, जनपदीय पुलिस अधीक्षक उसकी प्रारम्भिक जांच कराकर डे/नाइट ऑफिसर/थानाध्यक्ष को दण्डित करने की कार्यवाही करेंगे।
- ऐसे सभी प्रार्थना पत्र, जो व्यक्तिगत रूप से जनपदीय पुलिस प्रभारी से सम्पर्क कर प्रदान किये जाते है एवं जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की प्रार्थना की गयी है, यदि उसमें संज्ञेय अपराध होना पाया जाता है तो जनपदीय पुलिस अधीक्षक उन सभी में **" जांचकर आवश्यक कार्यवाही करें"** आदेशित करने की बजाय स्पष्ट रूप से **"प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करें"** के आदेश जारी करेंगे।
- जिन थाना क्षेत्रों में तुलनात्मक दृष्टि से धारा 156(3) दं.प्र.सं. के अन्तर्गत अधिक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की जा रही है, वहाँ जनपदीय पुलिस अधीक्षक यह परीक्षण करायेंगे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने में थाने स्तर से टाल-मटोल तो नहीं किया जा रहा है।
- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने की शिकायत के संबंध में जो भी प्रारम्भिक जांच / विभागीय जांच आदेशित की गयी है, उसकी सभी दण्डात्मक कार्यवाहियाँ निर्धारित समय में अवश्य पूर्ण कर ली जाय। जिन मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट न दर्ज करने पर प्रारम्भिक जांच के आदेश दिये गये है, उसकी सूचना संलग्न **प्रारूप-'क' में** प्रतिमाह जनपदीय पुलिस अधीक्षक द्वारा परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षक को प्रेषित की जायेगी।
- **धारा-166 (क) लोक-सेवक जो विधि के अधीन के निदेश की अवज्ञा करता है-**

जो कोई लोक-सेवक होते हुए:-
(क) विधि के किसी ऐसे निर्देश की, जो उसको अपराध या किसी अन्य मामले में अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति की किसी स्थान पर उपस्थिति की अपेक्षा किए जाने से प्रतिषिद्ध करता है, जानते हुए अवज्ञा करता है;
(ख) किसी ऐसी रीति को, जिसमें वह ऐसा अन्वेषण करेगा, विनियमित करने वाली विधि के किसी अन्य निर्देश की, किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए , जानते हुये अवज्ञा करता है; या
(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा-154 की उपधारा (1) के अधीन धारा 326क, धारा 326ख, धारा 354, धारा 354ख, धारा 370, धारा 370क धारा 376, धारा 376 कख, धारा 376ख, धारा 376ग, धारा 376घ, 376घक, धारा 376घख, धारा 376ड. या धारा 509 के अधीन दंडनीय संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में उसे दी गयी किसी सूचना को लेखबद्ध करने में असफल रहता है,
वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किंतु जो 02 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 166(क) में वर्णित संज्ञेय अपराधों (धारा 326क, धारा 326ख, धारा 354, धारा 354ख, धारा 370, धारा 370क, धारा 376, धारा 376 कख, धारा 376ख, धारा 376ग,

Scanned by CamScanner

धारा 376घ, 376घक, धारा 376घख, धारा 376ड. या धारा 509) की सूचना मिलने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत न करना स्पष्ट रूप से भा0द0वि0 की धारा-166(क) के अन्तर्गत दण्डनीय है, अतः जिन प्रकरणों में संबंधित थाना प्रभारियों द्वारा उपरोक्त वर्णित संज्ञेय अपराधों की सूचना मिलने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत न किये जाने का आरोप प्रमाणित पाया जाये, उन थाना प्रभारियों के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा-166(क) में वर्णित प्राविधानों के अन्तार्गत अविलम्ब अभियोग पंजीकृत किया जाये।

- जिन प्रकरणों में सूचनाकर्ता द्वारा असत्य तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराना पाया जाये, उनमें शिकायतकर्ता के विरुद्ध धारा-182 भा0द0वि0 की रिपोर्ट विवेचक द्वारा मा0 न्यायालय को प्रस्तुत की जायेगी तथा इसका पर्यवेक्षण संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं ऐसे समस्त अभियोगों का विवरण भी क्षेत्राधिकारी की पेशी में केसों की मॉनिटरिंग हेतु रखा जायेगा। मासिक अपराध गोष्टी में भी जनपदीय पुलिस अधीक्षक द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जायेगी एवं जनपदीय न्यायाधीश के साथ होने वाली मॉनिटरिंग सेल की गोष्ठी में इस विषय पर चर्चा की जा सकती है, ताकि मा0 न्यायालय द्वारा इन रिपोर्टो पर अग्रिम कार्यवाही शीघ्र प्रारम्भ हो जाय। जिन अभियोगों में जुर्म खारिजा रिपोर्ट एवं धारा-182 भा0द0वि0 की रिपोर्ट दी गयी है, उसकी सूचना संलग्न **प्रारूप - 'ख'** में जनपदीय पुलिस अधीक्षक द्वारा परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं जोनल पुलिस महानिरीक्षक को प्रेषित की जायेगी।

संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत न करना स्पष्ट रूप से मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों का उल्लंघन है, जिसके लिये संबंधित जिम्मेदार अधिकारी को न्यायालय के आदेशों की अवहेलना (Contempt of Court) के आरोप में दोषी ठहराते हुये दण्डित किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें, जिन जनपदों से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने के अधिक प्रकरण प्रकाश में आयेंगे, उन जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही करने तथा उनके वार्षिक मूल्यांकन में प्रतिकूल टिप्पणी करने पर भी विचार किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

17/3/21.

(एच0सी0 अवस्थी)

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0।
5. समस्त पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उ0प्र0।
6. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner

प्रारूप-'क'

थानों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

माह- .....

परिक्षेत्र	जनपद	कितने मामलों में प्रारम्भिक जांच / जांच आदेशित हुई	कितने दोषी पाये गये	कितने दण्डित हुये	कितने में धारा-166ए भा0द0वि0 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी।
1.	2.	3.	4.	5.	6.

प्रारूप-'ख'

थानों पर अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट में धारा-182 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कृत कार्यवाही

माह- .....

परिक्षेत्र	जनपद	कितने अभियोगों में धारा-182 भा0द0वि0 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में रिपोर्ट प्रेषित की गयी, की कुल सं0	मा0 न्यायालय द्वारा कितने प्रकरणों में धारा-182 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये, की कुल सं0
1.	2.	3.	4.

Scanned by CamScanner